प्रेस नोट   दिनांक- 19.08.2026

मारपीट व क्रूरता के मामले में वांछित 03 नफर अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2026 को ग्राम चौराडीह से मु0अ0सं0- 193/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/3(5)/89 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 कन्हैया लाल, 2.विपिन कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र, 3. भानमती पत्नी सुभाष चन्द्र निवासीगण ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 कन्हैया लाल, निवासी ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2.विपिन कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र, निवासी ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. भानमती पत्नी सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम जमीरा चौराडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 193/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/3(5)/89 बीएनएस थाना दोहरीघाट, मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक 19.08.2026
2. स्थान – चौराडीह से

जनपद मऊ पुलिस की तत्परता से नाबालिक बच्ची को सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2026 को एक 03 वर्षीय बच्ची अकेले लावारिस हालत में रो रही है की सूचना पर पुलिस की तत्परता से नाबालिक बच्ची के परिजनों की पहचान हेतु आसपास के क्षेत्रों, सोशल मीडिया व डीजीटल वालेन्टीयर व डिस्ट्रीक्ट ग्रूप मे सूचना प्रसारण करके नाबालिक बच्ची उपरोक्त को 02 घण्टे में उसकी माता शबीना पत्नी कलाम जौहर निवासी मदनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को तस्दीक करते हुए सकुशल सुपुर्द किया गया।

चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में, चोरी की मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2026 को कोलौरा अंडरपास के पास से मु0अ0सं0- 288/2026, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त अमित वर्मा उर्फ निरहू पुत्र स्व0 पारसनाथ वर्मा निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त/ बाल अपचारी का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

घटना विवरण- दिनांक 18.8.2026 को समय 3.10 बजे सुबह आवेदक अपने घर से रेलवे स्टेशन मु0बाद जा रहा था कि रास्ते मे शेखअहमदपुर के पास पहुँचा तो उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा आवेदक का मोबाइल दो अज्ञात व्यक्तियो द्वारा राईडर मोटर साईकिल से आकर झपट्टा मार कर मोबाईल लेकर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2026, धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ था।

मुखबीर की सूचना पर कोलौरा अंडर पास पर चेकिंग कर रहे थे कि कोलौरा की तरफ से आ रहे एक मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो एक व्यक्ति ने अपना नाम अमित वर्मा उर्फ निरहू पुत्र स्व पारसनाथ वर्मा निवासी कोपा कोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष बताया तथा दूसरा बाल अपचारी है।

पूछताछ में बताया गया कि कल दिनांक 18.08.2026 की घटना मे संलिप्त दो अन्य साथी भी थे जिनका नाम 1.- अरविंद सिंह मौर्या उर्फ मुन्ना पुत्र अज्ञात व 2.- लुल्लू पुत्र अज्ञात निवासीगण पुरानी कोपा थाना कोपागंज जनपद मऊ हैं। पकड़े गये व्यक्ति अमित वर्मा उर्फ निरहू व बाल अपचारी से घटना के बारे मे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताये कि साहब हम चारो लोग इसी मोटरसाईकिल से शेखअहमदपुर चट्टी पर आये थे दो लोग अरविंद सिंह मौर्या और लुल्लू शेखअहमदपुर चट्टी पर उतर गये और कहे कि हम लोग यहां निगरानी कर रहे है और तुम दोनो जाकर विकलांग व्यक्ति की मोबाईल झपट्टा मारकर ले आओ। फिर हम दोनो लोग गाड़ी से शेखअहमदपुर चट्टी से आगे बढ़कर झपट्टामारी की घटना को अंजाम दिये थे। इसके बाद और भी घटना करने जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की कब्जे से एक अदद सैमसंग कम्पनी का नीले रंग का मोबाइल फोन बरामद किया गया, इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त एक अदद टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल, जिस पर नम्बर प्लेट अंकित नहीं थी, को भी अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर अभियुक्त को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.अमित वर्मा उर्फ निरहू पुत्र स्व0 पारसनाथ वर्मा निवासी कोपाकोहना थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र करीब 21 वर्ष

2. एक बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 288/2026, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 19.08.2026

2.स्थान - कोलौरा अंडरपास के पास

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद सैमसंग कम्पनी नीले रंग का मोबाईल फोन

2.घटना में प्रयुक्त एक अदद टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल, जिसे सीज किया गया।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर मुकदमें में बरामद अबैध कच्ची देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर कुल मात्रा- 340 ली0, अनुमानित कीमत- 1,57,000/- रूपया कराया गया विनिष्टीकरण-

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश के क्रम में दिनांक 19.08.2026 को उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना श्रीमति अर्चना अग्नीहोत्री, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद गोहना की उपस्थिति में थाना मुहम्मदाबाद गोहना में कुल 20 अभियोंग से संबंधित अबैध कच्ची व देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर कुल मात्रा- 340 लीटर कीमत करीब धनराशि – 1,57,000/- (एक लाख सत्तावन हजार रूपया) गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 19.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया*

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 30 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1280 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 411 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को

हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

समीक्षा गोष्ठी

पुलिस लाइन सभागार जनपद मऊ में विभिन्न शाखाओं एवं थानों के कार्यों की समीक्षा हेतु गोष्ठी आयोजित

आज दिनांक 19.08.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनपद पुलिस के विभिन्न शाखाओं एवं थानों में संचालित कार्यों की समीक्षा हेतु समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त शाखा प्रभारी, थानों पर गठित साइबर सेल के प्रभारी एवं संबंधित कर्मचारी, थानों के सीसीटीएनएस ऑपरेटर एवं संबंधित कर्मचारी, महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी, मिशन शक्ति के प्रभारी, आईजीआरएस का कार्य संपादित करने वाले कर्मचारी तथा थानों पर रिट/पासपोर्ट संबंधी कार्य संपादित करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं स्थिति की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा- निर्देश प्रदान किए गए । संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

गोष्ठी के माध्यम से साइबर अपराध से संबंधित कार्यवाही, सीसीटीएनएस संबंधी कार्य, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति, आईजीआरएस तथा रिट/पासपोर्ट संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रभावी ढंग से संपादित करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए।